

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 96/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री आफताब अहमद खां कायमखानी
निवासी ई-359, बायस्कोप के पीछे,
सुभाषनगर भीलवाड़ा

बनाम

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।



निर्णय

दिनांक : 14.12.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 14.11.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रुपये के पोस्टल ऑर्डर संख्या 54 एफ 195715 के साथ एक आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), भीलवाड़ा को प्रेषित किया। उक्त आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), भीलवाड़ा द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को अंतरित किया गया एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा उक्त आवेदन तहसीलदार भीलवाड़ा को अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.11.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 181 दिनांक 05.12.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना/जवाब कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा के पत्रांक भू0अ0सू0अ0/2022/2980 दिनांक 25.11.2022 से अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये डाक प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 14.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा